अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/334

स्वर्गीय ताज मोहम्मद उर्फ वजीर मोहम्मद पुत्र चॉद खॉ मुसलमान निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–

1. जरीना बेगम बेवा नन्हूं खॉ पुत्र स्वर्गीय ताज मोहम्मद मुसलमान दीगोद ।
2. जेबुन्निसा पुत्री नन्हूंखॉ पुत्र स्वर्गीय ताज मोहम्मद मुसलमान दीगोद हाल निवासीगण पेट्रोलपम्प के पास अनन्तपुरा, कोटा ।
3. आशा पुत्री स्व0 ताज मोहम्मद बेवा भंवर खॉ मुसलमान निवासी चॉदखेडी तहसील खानपुर

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्व0 अब्दुल्ला पुत्र नूरा जाति मुसलमान निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जलील मोहम्मद ।
   1/2. अब्दुल वहीद
   1/3. सलीम मोहम्मद पि0 स्व0 अब्दुल्ला मुसलमान निवासीगण दीगोद तहसील सांगोद
   1/4. बिसमिल्ला
   1/5. सईदा
   1/6. वहीदन
   1/7. नसीबन
   1/8. रूकसाना पुत्रियॉ अब्दुल्ला मुसलमान निवासीगण दीगोद तहसील सांगोद ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.1983 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 129/दावा/1978

अब्दुल्ला पुत्र नूरा जाति मुसलमान साकिन दीगोद थाना व तहसील सांगोद ।

––वादी

बनाम

1. आबनूर बेवा नजीर खॉ उम्र 40 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
2. इब्राहीम वल्द नजीर खॉ उम्र 35 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
3. रूस्तम वल्द नजीर खॉ उम्र 31 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
4. कदीर आत्मज नजीर खॉ उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
5. महमूद आत्मज नजीर खॉ उम्र 27 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
6. समद आत्मज नजीर खॉ उम्र 25 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
7. सलाम आत्मज नजीर खॉ उम्र 23 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
8. अजीज आत्मज नजीर खॉ उम्र 21 वर्ष जाति मुसलमान साकिन दीगोद ।
9. रफीका वल्द नजीर खॉ उम्र 28 वर्ष जोजे अहमद नूर मुसलमान साकिन छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला कोटा ।
10. ताज मोहम्मद उर्फ वजीर मोहम्मद पुत्र चॉद खॉ मुसलमान निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद ।
11. जमना वल्द सुन्दर लाल जाति धाकड साकिन हरिपुरा तहसील सांगोद ।
12. गणपती पुत्री सुन्दर लाल जाति धाकड साकिन हरिपुरा तहसील सांगोद ।
13. मुस0 द्रोपदी पुत्री सुन्दर लाल जाति धाकड ।
14. मुस0 सूसर बाई पुत्री सुन्दर लाल जाति धाकड साकिन हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.1983 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जीमल अहमद के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.11.1983 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/334

स्वर्गीय ताज मोहम्मद उर्फ वजीर मोहम्मद पुत्र चॉद खॉ मुसलमान निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–

1. जरीना बेगम बेवा नन्हूं खॉ पुत्र स्वर्गीय ताज मोहम्मद मुसलमान दीगोद ।
2. जेबुन्निसा पुत्री नन्हूंखॉ पुत्र स्वर्गीय ताज मोहम्मद मुसलमान दीगोद हाल निवासीगण पेट्रोलपम्प के पास अनन्तपुरा, कोटा ।
3. आशा पुत्री स्व0 ताज मोहम्मद बेवा भंवर खॉ मुसलमान निवासी चॉदखेडी तहसील खानपुर ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 अब्दुल्ला पुत्र नूरा जाति मुसलमान निवासी ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जलील मोहम्मद ।
   1/2. अब्दुल वहीद
   1/3. सलीम मोहम्मद पि0 स्व0 अब्दुल्ला मुसलमान निवासीगण दीगोद तहसील सांगोद
   1/4. बिसमिल्ला
   1/5. सईदा
   1/6. वहीदन
   1/7. नसीबन
   1/8. रूकसाना पुत्रियॉ अब्दुल्ला मुसलमान निवासीगण दीगोद तहसील सांगोद ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जमील अहमद, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.12.1983 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक अब्दुल्ला ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 व 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में कुल 07 किता

की 68 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम दीगोद में खसरा नम्बर 51 की रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम दीगोद में खसरा नम्बर 412 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 413 रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 13 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है । वादी ने प्रतिवादी क्रम 10 के हिस्से की आराजी नीलामी में 450/– रूपये में क्रय की थी व वादी की प्रतिवादी के हिस्से की उक्त आराजी का हकदार व मालिक दिनांक 28.09.1955 को बन गया । वादी शामलाती खाते का 7/12 हिस्से के सहखातेदार बन गये । प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 9 मृतक नजीर खॉ के 1/3 हिस्से के मालिक रह गये थे । वादी समस्त खाता में से 7/12 हिस्से का विभाजन कराने के अधिकारी हैं । प्रतिवादी क्रम 10 की नियत में बदयान्ति आ गई है वह उसके हिस्से की नीलामशुदा सन् 1955 के हिस्से को पुनः कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी को 7/12 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में इसकी दुरूस्ती कर अमल दरामद किया जावे । वादी को उनके प्राप्त हिस्सा 7/12 पर कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.1983 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.1983 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.12.1983 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 10 मृतक ताज मोहम्मद के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में स्व0 ताज मोहम्मद को 1/12 हिस्से का सहखातेदार घोषित करते हुए वादी अब्दुल्ला को केवल 7/12 हिस्से का ही सहखातेदार घोषित किया गया था । इस आधार पर वादग्रस्त आराजी में अब्दुल्ला के पृथक खाते में केवल 7/12 हिस्से पर ताज मोहम्मद उर्फ वजीर मोहम्मद के माह नवम्बर 1983 में फौत हो जाने पर उसके कायम मुकामान प्रार्थीगण को पक्षकार न बनाकर उसके 1/12 हिस्से को वादी अब्दुल्ला के 7/12 हिस्से में मिलाकर उसे 2/3 हिस्से की आराजी पर पृथक खातेदार दर्ज किये जाने की अंतिम डिक्री पारित किया जाना त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्टगण प्रतिवादी क्रम 10 ताज मोहम्मद के वारिसान होने से उक्त अंतिम डिक्री से व्यथित हैं । ताज मोहम्मद की मृत्यु सन् 1983 में हो जाने के बाद उनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही उनके मृतक पिता ताज मोहम्मद के 1/12 हिस्से को सामप्त कर अंतिम डिक्री विधि–विरूद्ध जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.12.1983 निरस्त फरमायी जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.1983 को पारित प्रारम्भिक डिक्री के विपरीत प्रार्थीगण के पिता स्व0 ताजमोहम्मद प्रतिवादी क्रम 10 का वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा घोषित होते हुए उनकी मृत्यु के बाद हम प्रार्थीगण वारिसान को कायममुकामान पक्षकारान न बनाकर स्व0 ताजमोहम्मद के 1/12 हिस्से को भी वादी अब्दुल्ला के हिस्से में मिलाकर एकपक्षीय रूप से अंतिम डिक्री पारित करके ताजमोहम्मद के खाते तथा हिस्से में कोई भूमि अंकित नहीं की है जिसके आधार पर वादी स्व0 अब्दुल्ला के वारिसान रेस्पोडेन्ट द्वारा हम प्रार्थीगण को इस वर्ष वादग्रस्त आराजी के 1/12 हिस्से के उपयोग से वंचित करके

उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर देने की धमकी देने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 0905.2017 को जिला रिकॉर्ड रूम से दिनांक 15.05.2017 को नकले प्राप्त होने पर जानकारी हुई जिस पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित करते हुए दिनांक 14.11.83 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की थी जिसमें प्रतिवादी ताजमोहम्मद का 1/12 हिस्सा निर्धारित किया गया था और उसके अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की थी इसके बावजूद अंतिम डिक्री में वादी अब्दुल्ला को 2/3 हिस्सा प्रदान किया गया । समस्त सहखातेदारों की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित की गई है । प्रारम्भिक डिक्री के विपरीत ताज मोहम्मद का 1/12 हिस्सा दर्ज नहीं कर इसको अब्दुल्ला के खाते में दर्ज कर दिया है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व ताज मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी उसके कायममुकामान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंतिम डिक्री का ज्ञान वर्ष 2017 में अपीलान्ट को हुआ है । विलम्ब का शमन करने के लिए धारा 05 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का रेस्पोडेन्ट की आरे से न तो कोई लिखीत जवाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट विलम्ब को शमन करते हुए स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 28.12.1983 निरस्त फरमायी जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2008 पेज 804, आरआरडी 2008 पेज 842, आरएलडब्ल्यू 1996 (3) पेज 01, एआईआर 1996 (एससी) पेज 1623 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील 34 वर्ष के बाद पेश की गई है विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में खाते पृथक हो चुके हैं । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.12.1983 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.11.83 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है । प्रारम्भिक डिक्री में वादी को 7/12 और प्रतिवादी कम 10 मृतक ताजमोहम्मद का 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया है और उसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की है और दिनांक 28.11.83 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । अपील दिनांक 28.11.83 के निर्णय के खिलाफ सन् 2017 में पेश की है जो लगभग 34 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है ।

11. अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसका अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि ताज मोहम्मद का प्रारम्भिक डिक्री में 1/12 हिस्सा घोषित किया गया है परन्तु उनके वारिसान को कायममुकामान न बनाकर ताज मोहम्मद के 1/12 हिस्से को भी अब्दुल्ला के हिस्से में मिलाकर एकपक्षीय रूप से अंतिम डिक्री पारित की है । वादी अब्दुल्ला के वारिसान रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी को इस वर्ष वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्से में उपयोग से वंचित करके उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर जरिये वकील दिनांक 09.05.2017 को मालूमात की और दिनांक 15.05.2017 को डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर इस त्रुटि का ज्ञान हुआ । अतः विलम्ब का शमन किया जावे ।

12. अपीलान्ट ने अपील के साथ निर्णय की प्रारम्भिक डिक्री की प्रमाणित प्रति शामिल की है और अंतिम डिक्री की प्रामणित प्रति पेश की है परन्तु अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि ताजमोहम्मद की अंतिम डिक्री जारी करने के पूर्व मृत्यु हो चुकी थी परन्तु अपील के साथ उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की गई है ।

13. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 34 वर्ष विलम्ब से पेश की है और अपील मीमो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है जब वादग्रस्त आराजी सन् 1983 के निर्णय की अनुपालना में रेस्पोडेन्ट अब्दुल्ला के खाते में दर्ज हो चुकी है और सन् 1983 के पश्चात् वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा रहा हो ऐसा भी कोई कथन न तो अपीलान्टगण ने अपने अपील मीमो में किया है और न ही इसकी कोई साक्ष्य पेश की गई है । सन् 1983 से 2017 तक अपीलान्टगण ने खाते एवं खसरा गिरदावरी का अवलोकन नहीं किया यह तार्किक प्रतीत नहीं होता है ।

14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट में अपीलान्ट के द्वारा वादी अब्दुल्ला के कायम मुकामान एवं सरकार को पक्षकार बनाया है शेष प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं ।

15. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । ऐसी स्थिति में धरारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब को शमन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरएलडब्ल्यू 1996 (3) पेज 01 व आरआरडी 2008 पेज 804 के क्रम में विलम्ब के समुचित कारण नहीं बताये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.11.1983 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा